भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून—248001
दूरभाषः 0135—2650809
फैक्स—0135—2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/52/2021/एफ0 सी0/2*66* 

दिनांक 29/06/2021

सेवा में

 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:— जनपद—चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा—मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/38635/2019)

सन्दर्भ:--कार्यालय--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -2844 / FP/UK/ ROAD/38635/2019 दिनांक 16-06-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31/03/2021 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना आख्या इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें:—

- 1. In reply to point no. 03, name of area mentioned in DFO's SIR is village *Nauli* but at para L in Part I and para 13 in Part II the name of the CA area is mentioned as village *Majyadi* and *Birsan*. State Government may submit clarification in this regard. Further, date of inspection is also not mentioned.
- 2. In reply to point no. 4, name of CA area still not mentioned in CA scheme. State Government may submit/ upload the CA scheme mentioning the name of the proposed CA area.
- 3. It has been noticed that the cutting work done in starting part of proposed road and as per bar chart the same is reserve forest area. State Government may submit a detailed report of the concerned DFO in this regard.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

मवदीय,

(**टा० सा० नाटियाल**) उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के०)